

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004


—
// अधिसूचना //

क्रमांक- एफ बी-04-07/2018/2/पांच (34)

भोपाल, दिनांक 22 मई, 2018

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, ऐसी लिखत जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 232 एवं 234 के अधीन अधिकरण/न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 44-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कम्पनियों के विलीनीकरण या समामेलन से संबंधित हो, पर प्रभार्य पंजीयन फीस घटाकर लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का 0.8 प्रतिशत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.डी.रिछारिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग


मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-एफ बी-04-01/2018/2/पांच

भोपाल दिनांक 22 मई, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक-एफ बी-04-07/2018/2/पांच(34), दिनांक 22 मई, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.डी.रिश्तरिया)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN, BHOPAL-462004


//NOTIFICATION//

No. B-4-07/2018/2/V (34)

Bhopal, dated 22 May, 2018

In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, reduces the registration fees chargeable on the instrument relating to the merger or amalgamation of companies under the order of Tribunal/Court under section 232 and 234 of the Companies Act, 2013(18 of 2013), or under the order of the Reserve Bank of India under section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), to 0.8 percent of the stamp duty chargeable on the instruments.

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh


(S.D. Richharia)

Deputy Secretary to
Government of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department